संसद के समक्ष अभिभाषण – 13 मार्च 1972

लोक सभा	-	पांचवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री गोपाल स्वरूप पाठक
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

राष्ट्र एक बहुत बड़ी परीक्षा में खरा उतरा है। बाहरी आक्रमण के मौके पर देश ने बहुत बड़ी एकता, साहस, संवेदनशीलता तथा स्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया। इससे संसार को यह स्पष्ट हो गया है कि देश के लोग किस तत्व के बने हैं। बंगलादेश के साढ़े सात करोड़ लोगों की आजादी और जिन्दगी खतरे में पड़ गई थी। इस मामले में जब संसार के लोग आगा-पीछा कर रहे थे, भारत ने अत्याचारों से पीड़ित बंगलादेश से भाग कर आए हुए एक करोड़ लोगों को शरण दी। जब हम पर आक्रमण हुआ तो हमने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसका मुंहतोड़ जवाब दिया तथा मानव स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम बंगलादेश की सहायता को गए।

हमारी सशस्त्र सेनाओं ने बड़ी वीरता, कुशलता और निष्ठा से युद्ध लड़ा। सेना के तीनों अंगों तथा अर्द्ध-सैनिक संगठनों ने आपसी समन्वय में अनुकरणीय कौशल का परिचय दिया। जवानों और अधिकारियों के बीच भी भाईचारे का अपूर्व संबंध देखा गया। सेना के बहुत से जवानों और अधिकारियों ने वीरगति प्राप्त कर सर्वोच्च बलिदान किया। बहुत से अपंग हुए जिनके समय चिह्न आजीवन उनकी देशभक्ति के प्रमाण रहेंगे। रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के नाते मैं उनका अभिवादन करता हूं और उनके परिवारों के प्रति राष्ट्र की सहानुभूति अर्पित करता हूं। सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने देशवासियों के मनोबल की मैं सराहना करता हूं, जिन्होंने खतरे की स्थिति तथा सामान्य जीवन के अस्त-व्यस्त होने पर भी शांति और धैर्य से काम लिया। युद्ध के कारण जो

लोग अपने घर-बार से विस्थापित हो गये हैं उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व का हमें पूरा आभास है। अन्यत्र भी हमारे नागरिक एकता के सूत्र में बंधे रहे और उन्होंने अवसर के अनुरूप कार्य किया।

इस कार्य में संसद ने जो मार्गदर्शन दिया, राजनीतिक, राजनयिक तथा सैन्य संबंधी नीति और निर्णयों में सरकार ने जिस विवेक और नेतृत्व का परिचय दिया, प्रशासन के सभी स्तरों पर जो प्रभावकारी कार्य संचालन हुआ, तथा देश की जनता ने जो संकल्प और मनोबल दिखाया उसी सबसे यह सफलता सम्भव हो सकी। इस पर देश को गर्व और आत्मविश्वास होना स्वाभाविक है।

पिछले वर्ष आपके समक्ष भाषण करते हुए मैंने कहा था कि अब हमें आर्थिक और सामाजिक पुनर्व्यवस्था की ओर ध्यान देना है उस समय हम लोगों को इस बात का अनुमान भी नहीं था कि हम पर एक युद्ध थोपा जाएगा लेकिन जब कभी किसी चुनौती का हम सामना करते हैं, किसी विशेष ऊंचे आदर्श के लिए खतरा मोल लेते हैं, किसी काम को अच्छी तरह पूरा करते हैं तो उससे हममें एक नई क्षमता और शक्ति का संचार होता है। विगत वर्ष में हमारी एकता, शक्ति और संकल्प तीनों का विकास हुआ है।

इनका उपयोग अब हमें सामाजिक न्याय तथा समानता के कार्यक्रम को व्यापक बनाने में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने में और अपनी मूलभूत नीति के अनुसरणों में करना चाहिए जिसके अंतर्गत हम मित्रता का अभिनन्दन, हर प्रकार के दबाव का विरोध व राष्ट्र हित व विश्वशांति का संवर्धन करते हैं।

पिछले बारह महीनों में देश के उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई और दक्षिण को सूखे का सामना करना पड़ा। बंगलादेश से आए हुए शरणार्थियों के कारण विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां और भीषण प्रशासनिक और संगठनात्मक समस्याएं उत्पन्न हुईं। फिर भी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। अकारण पाकिस्तान ने हम पर जो आक्रमण किया उसका सामना करने के लिए अपनी रक्षा व्यवस्था पर जो हमें अधिक खर्च करना पड़ा उसका भी हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ा। आज भी हम अपनी सीमाओं के बारे में निश्चित नहीं हैं और हमें सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है। बंगलादेश को स्वतंत्रता मिलने के बाद हम नवजात राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भी हमें सहायता देनी है। इन सब कारणों से हमारी लघु और दीर्घकालीन आर्थिक प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण स्वाभाविक है।

हमारी अर्थव्यवस्था अपने लोच के कारण अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव का सामना कर सकी जिससे वृद्धि तथा विकास की गति बनी रही। खाद्यान्न का उत्पादन पहले से 8 प्रतिशत अधिक हुआ और 1970-71 के फसली साल में 10.80 करोड़ टन की

कुल पैदावार ने एक नया रिकार्ड बनाया। चालू वर्ष में पैदावार इससे भी अधिक होने की आशा है। परिणामस्वरूप सरकार ने विदेशों से रियायती दर पर अन्न मंगाना बन्द कर दिया है। निर्यात बढ़ने लगा है। देहाती क्षेत्रों में अधिक रोजगार दिलाने और शहर के बेरोजगारों को रोजी दिलाने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रमों में कुछ प्रगति हुई है। इन कार्यक्रमों को और गहन बनाने का विचार है। रोजगार समिति की अंतरिम रिपोर्ट अभी मिली है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। योजना कमीशन का पुनर्गठन और पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

भूमि सुधार कार्यों पर तेजी से अमल हो रहा है। असम, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल में पट्टेदारी को अधिक सुरक्षित कराने और लगान में अधिक समानता लाने की दिशा में प्रगति हुई है। असम, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कानून बनाकर कृषि योग्य भूमि की अधिकतम जोत में और कमी कर दी गई है। इस संबंध में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इन सिफारिशों को ध्यान में रखकर अपने कानूनों में समुचित संशोधन करें।

किसानों को पानी, बिजली और ऋण देने के कार्यक्रमों में प्रगति हुई है। सिंचाई, विशेषकर भूमि जल संसाधनों, के विकास के लिए सार्वजनिक और सहकारी संस्थाओं द्वारा काफी ऋण दिये जा रहे हैं। ग्राम बिजली निगम ने 106 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है; इस राशि में से रियायती शर्तों पर 43 करोड़ रुपये पिछड़े इलाकों को दिए गए हैं।

उद्योग के क्षेत्र में धीमी प्रगति चिन्ता का विषय है। इस स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय बरते गए हैं, विशेषकर ऐसे उपाय जिनसे क्षमता का ज्यादा अच्छा उपयोग और उद्योगों के लिए लाइसेंस देने की गति में तेजी हो सके। नए और मध्यम श्रेणी के उद्यमकर्ताओं की मांगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं की ऋण देने की नीतियों का पुनर्निर्धारण पिछड़े इलाकों के लाभ की दृष्टि से किया गया है। छोटे उद्योग-धंधों को अधिक मात्रा में कच्चा माल दिला कर और आवश्यकतानुसार आयात की सुविधायें देने से उनका उत्पादन बढ़ा है।

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक व्यय की व्यवस्था की है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग संबंधी कार्यकलापों की गति का संचालन अधिकतर इस प्रकार के व्यय से होता है। प्रत्येक मंत्रालय में कार्यकारी दलों की स्थापना कर दी गई है कि वे योजना स्कीमों की प्रगति का आकलन करें, उनकी कमियों का पता लगायें और परिवर्तनों का सुझाव दें। सरकार को बन्द उद्योग-कारखानों का नियंत्रण हाथ में लेने और अधिक अधिकार दिलाने की दृष्टि से उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम में संशोधन किया गया है। एक योजना विनियोजन बोर्ड शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा जो बड़ी राशि के विनियोजन प्रस्तावों पर विचार-विनिमय करेगा।

पश्चिम बंगाल में उद्योग-धंधों को पुनः चालू कराने में मेरी सरकार ने विशेष रुचि ली है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो सोलह-सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है उस पर अमल हो रहा है।

हाल की आपातकालीन स्थिति के उत्पन्न होने पर, मैंने यह कहा की कि हड़ताल और तालाबंदी नहीं होनी चाहिए जिससे कि औद्योगिक अशांति के कारण उत्पादन में ढील न आने पाए। प्रधानमंत्री ने भी मजदूर नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूर औद्योगिक शांति बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। उनको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि अधिक उत्पादन के लाभ का सरकार निश्चित रूप से समुचित वितरण कराएगी।

सहायता देने वाले देशों की सहायता के माध्यम से हमारी नीति को प्रभावित करने की प्रवृत्ति के कारण आत्मनिर्भरता शीघ्र प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यह अनिवार्य है कि हम कृषि उत्पादन की कमी को पूरा करें, मशीनों की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करें, हड़ताल और तालाबंदी समाप्त करें और हर क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करें। उद्योग के क्षेत्र में इस्पात और खाद और कृषि में कपास और तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों के अधिकाधिक उत्पादन और तकनीकी क्षमता की वृद्धि से ही आर्थिक स्वराज प्राप्त हो सकेगा। हमें उत्पादन की दक्षता और कम लागत को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने निर्यात में वृद्धि करने और आयात की जाने वाली वस्तुओं की जगह अपनी चीजें बनाने में हमें गंभीरतापूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ काम करना चाहिए।

सेलम, विशाखापत्तनम और विजयनगर के नए इस्पात कारखानों का प्रारंभिक कार्य चल रहा है। सरकार ने इस्पात और पत्थर का कोयला, लोहा, मैंगनीज़ जैसे सम्बद्ध उद्योगों के लिए एक नियंत्रक कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया है जिससे कम से कम लागत पर समन्वित विकास सुनिश्चित हो सके। खाद उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास जारी हैं। दो खाद कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है तथा दो और कारखाने प्रायः तैयार हो चुके हैं। अन्य तीन कारखानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है जिनमें से दो का उत्पादन कार्य कोयले पर आधारित होगा। इसी तरह का तीसरा कारखाना शीघ्र ही बनाना शुरू होगा। छः नई परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं जिनमें से तीन सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

गहन कपास जिला कार्यक्रम के अंतर्गत तेरह जिलों में प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त कपास की अधिक पैदावार वाली एक नई किस्म संकर 4 के प्रसार से सम्बद्ध एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। सोयाबीन तथा सूर्यमुखी जैसे नए तिलहनों का प्रयोग आरम्भ कर दिया गया है। केन्द्र की ओर से चलाई जाने वाली एक स्कीम के अंतर्गत 1973-74 तक 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की खेती होगी। सूर्यमुखी की उपयुक्त किस्मों का परीक्षण और चयन का काम शुरू हो गया है।

नवगठित विज्ञान एवं प्रौद्योगिक राष्ट्रीय समिति ने कई प्रकार से इस बात का अध्ययन करना शुरू कर दिया है कि अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मविश्वास जगाने में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास किस प्रकार सहायक हो सकते हैं।

आर्थिक स्वराज प्राप्त करने के लिए बाहरी सहायता पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ घरेलू साधनों को अधिकाधिक जुटाना व सभी क्षेत्रों में कठोर वित्तीय अनुशासन रखना भी आवश्यक है। राज्य सरकारों के परामर्श से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक उनके ओवरड्राफ्टों में कमी लाई जा सके। यह आवश्यक है कि कृषक समुदाय के समृद्धि वर्ग के पास जो अतिरिक्त आय जमा हो रही है उसके कुछ अंश को भी राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग में लाया जाए। सरकार ने इस समस्या की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है।

यह संतोष की बात है कि शरणार्थी सहायता तथा पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बावजूद कीमत की स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं गई। फिर भी सरकार इससे संतुष्ट नहीं है और वह कीमतों तथा अनिवार्य वस्तुओं के वितरण पर कड़ी नज़र रखेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत बनाई जाएगी और ऋण संबंधी नीति की निरन्तर समीक्षा की जाएगी।

योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से इस बात का पता चला है कि समाज कल्याण से सम्बद्ध स्कीमों को कार्यान्वित करने की ओर कम ध्यान दिया गया है। इस प्रवृत्ति में सुधार लाया जा रहा है।

एक ऐसी स्कीम मंजूर की गई है जिसमें भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के आवास के लिए मुफ्त जमीन देने में केन्द्रीय सरकार मदद करेगी। इससे जमींदारों द्वारा बेदखल किए जाने वाले किसानों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों के कार्यों को सहायता मिलेगी। शहर की गंदी बस्तियों में सुधार से सम्बद्ध एक योजना भी सरकार ने मंजूर कर ली है। कलकत्ता* के मैट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए नगर पुनर्निर्माण तथा नवीकरण योजना का काम पूरे जोर से चला। चालू वर्ष में जल पूर्ति, परिवहन, आवास तथा इस क्षेत्र में विकास सम्बंधी अन्य कार्यों पर 40 करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है।

शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर अभी तक आठ राज्यों ने केन्द्रीय कानून बनाने के विचार का समर्थन किया है। उनसे यह आग्रह किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत वे अपने विधानमंडलों में प्रस्ताव पारित कराएं। इस बीच, जैसा कि आवास मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई है, एक अध्ययन दल इसके क्रियान्वयन के कुछ पक्षों की जांच कर रहा है।

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

प्रतिरक्षा और शरणार्थियों के कामों में उलझे रहने पर भी सरकार ने सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण सुधार लाने के प्रयास में प्रगति की। इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि राजाओं के विशेषाधिकार और भत्ते समाप्त कर दिए गए। साथ ही संसद ने संविधान में कुछ ऐसे संशोधन किए जिनसे ऐसे कदम उठाए जा सकेंगे कि एक समतायुक्त समाज का निर्माण हो सके।

सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का भी पुनर्गठन किया तथा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तथा संघशासित मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। राष्ट्र की सद्भावना इन क्षेत्रों के लोगों के साथ है। उत्तर-पूर्वी परिषद् की जल्द ही स्थापना होगी। मुझे आशा है कि ये राज्य तथा संघशासित क्षेत्र अपने विकास प्रयत्नों में समन्वयन लाकर शीघ्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे।

सोलह राज्यों और दो संघ प्रदेशों में अभी चुनाव हुए हैं। जिस शांति के साथ यह चुनाव सम्पन्न हुए वह हमारी जनता की परिपक्वता और संसदीय लोकतंत्र में उनकी दीर्घ आस्था की परिचायक है। विभिन्न राज्यों में जनता की पसन्द से जो नई सरकारें बनेंगी गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के हमारे समान कार्य में उनको मेरी सरकार पूरा सहयोग देगी।

शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बंगलादेश का अभ्युदय इस उपमहाद्वीप के इतिहास में ही क्या वास्तव में मनुष्य द्वारा स्वतंत्रता की खोज की दिशा में भी एक अभूतपूर्व घटना है। बंगलादेश के लोगों की विजय से हम भी खुश हैं। इस बात का संतोष है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं इतनी जल्दी बंगलादेश से लौट आईं। शेख मुजीबुर्रहमान और उनके सहयोगियों ने हमारे सरकारी नेताओं के साथ पारस्परिक हित के मामलों पर कई बार विचार-विमर्श किया है। पारस्परिक हित के मामलों पर आगे विचार करने के लिए तथा बंगलादेश के बहादुर लोगों को भारतीय जनता की बधाई देने के लिए हमारी प्रधान मंत्री शीघ्र ही ढाका जाएंगी। बंगलादेश के उजड़े हुए लोगों को फिर से बसाने तथा वहां की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के विशाल कार्य के लिए मेरी सरकार बंगलादेश को यथासंभव सहयोग दे रही है। हमें विश्वास है कि दोनों देशों के बीच मित्रता और सभी क्षेत्रों में सहयोग की अबाध प्रगति होगी। ऐसे संबंधों के विकास के लिए हमारे आदर्श और दृष्टिकोण की समानता शुभ लक्षण हैं। एक दृढ़, शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बंगलादेश से इस उप-महाद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की शक्ति और स्थिरता को बल मिलेगा। हमें विश्वास है कि इस नए देश को राष्ट्रों के समुदाय में अपना प्रभावी सहयोग देने का अवसर प्राप्त होगा।

हम पाकिस्तान की जनता और सरकार के प्रति भी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। दोनों देशों के बीच बिना किसी शर्त के द्विपक्षीय बातचीत करने का प्रस्ताव करने में हमने पहल की है। हमें आशा है कि पाकिस्तान उप-महाद्वीप की बदली हुई स्थिति को

स्वीकार करके इस पहल का उत्तर सद्भावनापूर्वक देगा। पाकिस्तान अथवा किसी अन्य देश की भूमि हड़पने का भारत का कोई इरादा नहीं है। इस बात की पुष्टि, यदि पुष्टि की आवश्यकता हो तो, इसी से होती है कि पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा बंगलादेश में हथियार डाल देने के बाद हमने पश्चिमी मोर्चे पर एकतरफा और स्वेच्छा से युद्ध विराम की घोषणा की।

पिछले वर्ष हमारी विदेश नीति ने जटिल चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। उप-महाद्वीप में काम कर रही शक्तियों के विषय में हमारे सही विश्लेषण और उनसे निपटने में हमने जो संयम दिखाया, उसकी सभी ने सराहना की है। हमारे अधिकतर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार हुआ है।

पिछले वर्ष अगस्त में शांति, मित्रता और सहयोग की जिस भारत-रूस संधि पर हस्ताक्षर किये गए उससे हमारी पुरानी मित्रता पर मोहर लग गई। यह युद्ध के विरुद्ध एक शांति-संधि है। किसी देश के विरुद्ध नहीं है।

हम संयुक्त राष्ट्र में चीन लोक गणराज्य के प्रवेश का, चाहे वह विलम्ब में ही हुआ, स्वागत करते हैं। इस कदम का हम सदैव समर्थन करते रहे हैं। हमें आशा है कि इससे एशिया तथा विश्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

अमरीका की सरकार ने बंगलादेश के लोगों द्वारा किए गए अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों और मूलभूत आजादी के संघर्ष के प्रति जो गैर-सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया उससे इस देश में गहरी निराशा हुई। अमरीकी जनमत ने तो पर्याप्त सहानुभूति व्यक्त की और पाकिस्तान के भूतपूर्व सैनिक शासकों की नीतियों की आलोचना की। इससे यह आशा होती है कि अमरीका के साथ हमारे संबंध, जो पारस्परिक सम्मान और समझ-बूझ पर आधारित हैं, नहीं बिगड़ने पायेंगे।

अमरीका और चीन द्वारा अपने संबंधों को पुनर्निर्धारित करने का प्रयास इस वर्ष की एक सबसे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटना है। हमें उम्मीद है कि इससे तनाव में कमी ही आएगी न कि मतभेद और बढ़ेंगे।

विश्व शक्तियों का रूप तेजी से बदल रहा है। महान् शक्तियों के बीच आपसी संबंधों तथा अन्य शक्तियों के साथ उनके संबंधों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी मूलभूत बातें हैं जिन्हें छोटे और बड़े सभी राज्यों को ध्यान में रखना होगा। किसी भी राज्य को शक्ति संतुलन के सिद्धांत का प्रयोग कर अपने लिए प्रभाव क्षेत्र के निर्माण का प्रयास इस भू-भाग में नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें छोटे या बड़े देशों को दूसरे देशों के साथ उनके संबंधों के बारे में अपना निर्णय थोपना चाहिए। भारत कोई नेतृत्व या आधिपत्य नहीं चाहता पर वह किसी दूसरे का आधिपत्य भी सहन नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि यह उप-महाद्वीप, वास्तव में समूचा दक्षिण एशियाई तथा हिन्द महासागर के क्षेत्र शक्ति प्रतिस्पर्द्धाओं अथवा आधिपत्य से मुक्त रहें और इस क्षेत्र

का विकास शांति और सहयोग के क्षेत्र के रूप में हो, न कि संघर्ष के। भारत यह भी चाहेगा कि सबसे पहले उप-महाद्वीप के देशों के बीच और उसके बाद दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के अन्य देशों के बीच अधिकाधिक क्षेत्रीय सहयोग, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, व्यापार और परिवहन, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन व बढ़ावा दिया जाए।

मेरी सरकार चार शक्तियों के बर्लिन समझौते का स्वागत करती है और आशा करती है कि यूरोप में तनाव कम होने की प्रक्रिया चलती रहेगी ताकि संबंधित देशों के बीच स्थायी समझौते हो सकें।

बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात संघ का स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अभ्युदय एक शुभ घटना है।

मेरी सरकार को इस बात पर खेद है कि पश्चिम एशिया और वियतनाम में संघर्ष अब भी जारी है। मेरी सरकार को आशा है कि इन दोनों क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के प्रयासों के परिणाम शीघ्र ही सुलभ होंगे। वियतनाम में घनघोर बमबारी शांति स्थापित करने की इच्छा के अनुरूप नहीं है।

नागरिकता तथा अधिकाधिक आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-श्रीलंका समझौते के सतत कार्यान्वयन से, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। नेपाल के साथ नई व्यापार तथा पारगमन संधि के सफलतापूर्वक निष्पादन से दोनों देशों के बीच गलतफहमी दूर हुई और हमारे आपसी लाभ के लिए सहयोग के क्षेत्रों का रास्ता खुल गया है।

नेपाल के महामहिम राजा महेन्द्र का आकस्मिक निधन हमारे लिए बहुत दु:ख की बात है। नेपाल के नये नरेश, सरकार एवं वहां की जनता के प्रति हम अपना सहयोग और शुभकामना व्यक्त करते हैं। हम उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि इस क्षेत्र में शांति, प्रगति एवं स्थायित्व को सुदृढ़ करने के लिए हमारी मैत्री एवं सहयोग उन्हें सदा मिलता रहेगा।

भूटान से हमारा निकट संबंध है तथा यह अत्यधिक संतोष का विषय है कि सितम्बर, 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया है। हमारे पहले के आश्वासनों के अनुरूप भूटान के साथ हमारा सहयोग लगातार बना रहा है और भविष्य में भी दोनों देशों एवं जनता के हितों में इस सहयोग की भावना अवश्य बढ़ेगी।

आंतरिक एवं बाहरी मामले के सर्वेक्षण में विधायी एवं अन्य कार्यों के उल्लेख को, जो आपके सामने आयेगा, शामिल करना आवश्यक है।

आपके समक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए भारत सरकार के आय-व्यय का प्राक्कलन शीघ्र ही विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

भारत के आकस्मिक व्यय निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972, प्रशासक सामान्य (संशोधन) अध्यादेश, 1972, सार्वजनिक वक़्फ (परिसीमन का विस्तार) (देहली संशोधन) अध्यादेश, 1972 और भारतीय ताम्र निगम (प्रबंध का लिया जाना) अध्यादेश, 1972 की जगह संसद के समक्ष सरकार विधेयक प्रस्तुत करेगी। सरकार द्वारा संसद में निम्नलिखित विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे:—

1. पुरावस्तु एवं कला भंडार विधेयक, 1972
2. उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पर्वतीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक।
3. अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक, 1972
4. सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, स्वर्ण नियंत्रण, आयकर एवं सम्पत्ति कर से संबद्ध कानूनों का उल्लंघन कर कुछ प्रकार के आर्थिक अपराधों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था के लिए विधेयक।
5. विदेशी-मुद्रा विनिमय अधिनियम में संशोधन की व्यवस्था के लिए एक व्यापक विधेयक।
6. आम बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिए विधेयक।
7. उन कोकिंग-कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए विधेयक जिनका प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा ले लिया गया था।
8. वायुदूषण नियंत्रण विधेयक।
9. अशांत क्षेत्र (विशेष अदालत) विधेयक।

सम्माननीय सदस्यों, अंत में मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई किसी सैनिक कार्रवाई से कम बहादुरी की बात नहीं है। इस महान् संघर्ष के लिए कठिन परिश्रम एवं लक्ष्य के प्रति गहन निष्ठा की आवश्यकता है। सतत परिश्रम एवं त्याग के बिना कभी कोई महान् कार्य नहीं हुआ है। मैं इस महान देश के सभी वर्ग के लोगों एवं दलों से निवेदन करता हूं कि युद्ध के समय आप लोगों ने जिस एकता की भावना का प्रदर्शन किया, देश के निर्माण के लिए भी वैसी ही भावना का प्रदर्शन करें। महानता इस राष्ट्र का आह्वान कर रही है—वह महानता जो परम्परागत शक्ति-संचय द्वारा नहीं बल्कि आत्मिक बल से प्राप्त होती है।